संख्या- 1508/14-2-2015-800(34)/2012

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 16 जुलाई, 2015

विषय- जनपद आगरा में आगरा-इटावा मार्ग किमी0 68 की बांयी पटरी पर ग्राम धोबई के खसरा संख्या-234, 235, 235ए, 236 व 237 में विकसित किये जा रहे एच0पी0सी0एल0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0569 हे0 (पूर्व में 0.0654 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 2228/11सी-आगरा, दिनांक 09 जून, 2015 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/122/2013/एफसी/1494,दिनांक 06-01-2014 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/ 06/122/2013/ एफसी/ 1727, दिनांक 05-3-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में आगरा-इटावा मार्ग किमी0 68 की बांयी पटरी पर ग्राम धोबई के खसरा संख्या-234, 235, 235ए, 236 व 237 में विकसित किये जा रहे एच0पी0सी0एल0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0569 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त स्वीक़ति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबन्धों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए प्रदान करते हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो
भा0स0 तक रख-रखाव किया जायेगा

(3) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
भा0स0 एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं
भा0सं0 जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(6) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान
भा0स0 मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई
भा0स0 गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) भा0स0 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पेट्रोल पम्प के बारे में जारी किये गये दिशा निर्देशों पत्रांक-11-29/2004-एफसी, दिनांक 15-7-2004, दिनांक 10-02-2005 एवं 14-2-2006 एवं 11-7-2014 का पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

(10) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास के बीच की (375.0930 वर्ग मीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

(11) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(12) भा0स0 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(13) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(14) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(15) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(16) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(17) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(18) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(19) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(20) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(21) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 1508(1)/14-2-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(3)- जिलाधिकारी, आगरा।
(4) वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
(5)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा।
(6)- सीनियर रीजनल मैनेजर, एच0पी0सी0एल0आगरा ।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in